बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0अ0(अ0उ0)–3054–01–203/2024 - 1749 /पटना, दिनांक– 21-11-2024

प्रेषक,

संजय कुमार, भा0प्र0से0
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव (विपत्र कोड–37–3054–04– 105–0001) व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये योजनावार कार्य कराने की प्रशासनिक स्वीकृति/**विभागीय रूप से कराए गये कार्य की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति** प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये योजनावार कार्य कराने की प्रशासनिक स्वीकृति/**विभागीय रूप से कराए गये कार्य की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति** दी जाती है:–

क्रम सं0	कार्य प्रमण्डल	प्रखण्ड	योजना का नाम,	योजना की लम्बाई (कि0मी0)	मूल कार्य की राशि (लाख में)	पाँचवर्षीय अनुरक्षण की राशि (लाख में)	आकस्मिक मरम्मति की राशि (लाख में)	कुल प्राक्कलित राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nawada	Nawada Sadar	NH-31 District Registration And Paramarsh Kendra	1.500	30.546000	9.25500	3.04700	42.848000
	Total			1.500				42.84800

2. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल; नवादा योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होगें।

3. सारणी में अंकित योजना का विभागीय रूप से कार्य सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।

4. इन योजना के चयन के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या– मु0अ0(अ0उ0)–3054–01–257/2024 के पृ0–04/टि0 पर दिनांक– 13.09.2024 को प्राप्त है।

Scanned with OKEN Scanner

CamScanner

5. सारणी में अंकित उक्त योजना का कार्य कराने की प्रशासनिक स्वीकृति अथवा विभागीय रूप से कराए गये कार्य की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार विभागीय अपर मुख्य सचिव, महोदय ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या–मु०अ०(अ०उ०)–3054–01–203/2024 के पृ०–०५ /टि० पर दिनांक–20.11.2024 को प्राप्त है।
6. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी०पी०आर० पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. योजना के तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने एवं भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना अनिवार्य है किसी भी मद के दर में Overhead एवं Contractor Profit नहीं जुड़ा है।
9. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजनाओं किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
10. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
11. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।
12. वित्त विभाग के संकल्प सं0–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
13. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
14. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
15. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह को 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रुप से उपलब्ध कराएंगे।
16. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रुप से किया जायेगा एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगे।
17. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– मु०आ०–4(मु०) –3054–01–203 /2024 के पृ०–०५ /टि० पर दिनांक– 18/11/24 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

21/11/24

(संजय कुमार)
संयुक्त सचिव

Scanned with OKEN S
CamScanner

ज्ञापांक– मु0अ0(अ0उ0)–3054–01–203/2024 - 1749 /पटना, दिनांक– 21.11.2024
प्रतिलिपि–संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/11/24
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0(अ0उ0)–3054–01–203/2024 - 1749 /पटना, दिनांक– 21.11.2024
प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त /संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित उप विकास आयुक्त /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/**मुख्य अभियंता–2,**(गया),ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं **आई0टी0 नोडल पदाधिकारी** को MIS में अपलोड करने हेतु एवं **आई0टी0 मैनेजर** को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/11/24
संयुक्त सचिव

CamScanner